नम्बर व ... अहकाम जो ... तामील में ...

...या 64/2020 उनवान इन्द्रा वगै. बनाम छोटू वगै.
दिनांक:-20.06.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :- 64/2020

उनवानी दावा:- निर्णय दिनांक :-20.06.2024

1. इन्द्रा पत्नी राजेन्द्र जाति माली आयु 32 वर्ष निवारी ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति माली आयु 35 वर्ष निवारी ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. छोटू पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम बरवास तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।
2. मोहन पुत्र लादू जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी पनवाड़ मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0।
3. सीमा शेखावत पत्नी भीमसिंह शेखावत आयु 40 वर्ष निवासी जयपुर रोड़ इमानुअल स्कुल के सामने देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. एच0डी0एफ0सी0बैंक लिमिटेड शाखा देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0।
5. तहसीलदार जी देवली लेण्ड होल्डर तहसील दुनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता वादीगण

श्री सुनिल कुमार शर्मा
प्रतिवादी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 2 ता 4

<u>दावा बंटवारा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 08.04.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार देवली से कुर्रेजात रिपोर्ट कमांक 4262 दिनांक 05.12.2022 से प्राप्त हुई। जिसमें दोराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने यह आपति की कि कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिवादीगण को मौके पर नहीं बुलाया गया और न ही कुर्रेजात रिपोर्ट कब्जे अनुसार तैयार की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की उक्त आपति को स्वीकार करते हुए तहसीलदार देवली को कमांक 70 दिनांक 13.02.23 से पुनः कुर्रेजात तैयार करने हेतु पत्र लिखा गया ।

उक्त पत्र के जवाब कमांक भू. अ/कुर्रेजात/23/737 दिनांक 27.03.23 से प्राप्त हुआ जिसके अनुसार पूर्व में तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट ही सही होना पाया गया। पूर्व में तैयार कुर्रेजात रिपोर्ट में किसी तरह का संशोधन अपेक्षित नहीं है।

पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई ।

दोराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपति होने बाबत पेश किया जिसके अनुसार रिपोर्ट बिना प्रतिवादी की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौके पर प्रतिवादी के कब्जे अनुसार रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है, जहां प्रतिवादी का कब्जा था वहां से अन्यत्र स्थान पर प्रतिवादी को कुर्रेजात रिपोर्ट में भूमि दी गई है, जिससे मौके पर विभाजन के बाद विवाद होगा।

उक्त आपति दिनांक 04.08.23 को स्वीकार करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष पक्षकारान को दिनांक 21.08.23 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटेड कराकर हस्ताक्षर कराये तथा तहसीलदार देवली को मौके पर उपस्थित होकर उभयपक्ष की उपस्थिति में नियत तिथि को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार देवली को राजस्व/23/445 दिनांक 14.08.23 से पत्र लिखा गया।

उक्त पत्रांक की पालना में तहसीलदार देवली से पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू. अ/1194 दिनांक 13.09.23 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया।

अधिवक्ता वादी ने अन्तिम बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने पुनः अपनी बहस में उक्त आपतियों को ही दोहरान कर कुर्रेजात रिपोर्ट को अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी की आपति निराधार व पत्रावली को अनावश्यक विलम्बित करने वाली प्रतीत होती है।

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू.अ/1194 दिनांक 13.09.23 का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 26 ख. नं. 2141 रकबा 0.31 है0 खाता संख्या 461 ख. नं. 2136 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 2140 रकबा 0.01 है0 गै. मु. चाह वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक में तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

खाता संख्या 26 में हिस्सा निम्नानुसार रहेगाः–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	इन्द्रा देवी पत्नी राजेन्द्र माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	2141/1	0.0391	चाही–1	1.29
	योग	किता–1	0.0391		1.29
2.	राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में कथई रंग से दर्शित	2141/2	0.0639	चाही–1	2.11
	योग	किता–1	0.22	नहरी–1	4.84
3.	मोहनलाल पुत्र लादूलाल गुर्जर सा. देह हि. 155/207 छोटूलाल पुत्र केसरलाल हि0 52/207	2141/3	0.1550	चाही–1	5.12
		2141/4	0.0520	चाही–1	1.71

	गुर्जर सा. बरवास तह. टोडारायसिंह खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद(रिक्त) रंग से दर्शित				
	योग	किता–2	0.2070	–	6.83
खाता संख्या 461 में हिस्सा निम्नानुसार रहेगाः–.					
1.	राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में कथई रंग से दर्शित	2136/1	0.0660	चाही–1	2.18
	योग	किता–1	0.0660		2.18
2.	मोहनलाल पुत्र लादूलाल गुर्जर सा. देह हि. 80/127 छोटूलाल पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर सा. बरवास तह. टोडारायसिंह हि. 47/254 सीमा शेखावत पत्नी भीम सिंह शेखावत जाति राजपूत सा. जयपुर रोड़ इमानुअल मिशन स्कूल के सामने तह. देवली हि. 47/254 खातेदार खातेदार नक्शा ट्रेंस में काले रंग से दर्शित	2136/2	0.2070	चाही–1	6.83
		2136/3	0.0470	चाही–1	1.56
	योग	किता–2	0.2540	–	8.38
3	शामलात	2140	0.01	गै.मु.चाह	–

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.06.2024 को सुनाया गया।

20/6/24

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .
उनवानी दावाः—

1. इन्द्रा पत्नी राजेन्द्र जाति माली आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति माली आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. छोटू पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम बरवास तहसील टोडारायसिंह ज़िला टोंक राज0।
2. मोहन पुत्र लादू जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी पनवाड़ मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0।
3. सीमा शेखावत पत्नी भीमसिंह शेखावत आयु 40 वर्ष निवासी जयपुर रोड़ इमानुअल स्कुल के सामने देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. एच0डी0एफ0सी0बैंक लिमिटेड शाखा देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0।
5. तहसीलदार जी देवली लेण्ड होल्डर तहसील दुनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

वाद विभाजन आराजीयात भूमि

मुकदमा नं. 64 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बंशीलाल कलवार अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री सुनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत् 2075—78 खाता संख्या 26 ख. नं. 2141 रकबा 0.31 है0 खाता संख्या 461 ख. नं. 2136 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 2140 रकबा 0.01 है0 गै. मु. चाह वाके ग्राम पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक में तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाना उचित हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :—

खाता संख्या 26 में हिस्सा निम्नानुसार रहेगा:—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	इन्द्रा देवी पत्नी राजेन्द्र माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	2141/1	0.0391	चाही—1	1.29
	योग	किता—1	0.0391		1.29
2.	राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में कथई रंग से दर्शित	2141/2	0.0639	चाही—1	2.11
	योग	किता—1	0.22	नहरी—1	4.84
3.	मोहनलाल पुत्र लादूलाल गुर्जर सा. देह हि. 155/207 छोटूलाल पुत्र केसरलाल हि0 52/207 गुर्जर सा. बरवास तह. टोडारायसिंह खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद(रिक्त) रंग से दर्शित	2141/3	0.1550	चाही—1	5.12
		2141/4	0.0520	चाही—1	1.71
	योग	किता—2	0.2070	—	6.83
	खाता संख्या 461 में हिस्सा निम्नानुसार रहेगा:—.				
1.	राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल माली सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में कथई रंग से दर्शित	2136/1	0.0660	चाही—1	2.18
	योग	किता—1	0.0660		2.18
2.	मोहनलाल पुत्र लादूलाल गुर्जर सा. देह हि. 80/127 छोटूलाल पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर सा. बरवास तह. टोडारायसिंह हि. 47/254 सीमा शेखावत पत्नी भीम सिंह शेखावत जाति राजपूत सा. जयपुर रोड़ इमानुअल मिशन स्कूल के सामने तह. देवली हि. 47/254 खातेदार खातेदार नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शित	2136/2	0.2070	चाही—1	6.83
		2136/3	0.0470	चाही—1	1.56
		किता—2	0.2540	—	8.38
	योग				
3	शामलात	2140	0.01	गै.मु.चाह	—

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.......................................मुवलिक.......................................बाबत् ....

.......खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 06 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त 20/6/24

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।